जिला सहकारी बैंक लि०, गाजियाबाद

आर०डी०सी० राजनगर, गाजियाबाद

व्यक्तिगत ऋण योजना

शाखा का नाम .....

खाता संख्या .....

पत्रावली संख्या .....

ऋणी का नाम .....

गारन्टरों के नाम .....

.....

कार्यरत संस्था/विभाग का नाम .....

ऋण की धनराशि .....

मासिक किस्त की धनराशि .....

प्रारूप –1

जिला सहकारी बैंक लि0, गाजियाबाद

व्यक्तिगत ऋण के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,
शाखा प्रबंधक,
जिला सहकारी बैंक लि0, गाजियाबाद
शाखा .....

आवेदक का फोटो शाखा प्रबंधक द्वारा प्रमाणित

महोदय,

मैं, आपकी शाखा से अंकन .....(शब्दों में.....) का व्यक्तिगत ऋण लेना चाहता/चाहती हूँ। ऋण की अदायगी ..... माह में करने को इच्छुक हूँ। व्यक्तिगत ऋण हेतु मैं, निम्न सूचनायें आपकी सेवा में प्रस्तुत करता/करती हूँ।

1. आवेदक का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. वैवाहिक स्थिति..... आश्रितों की संख्या .....
4. जन्म तिथि .....
5. स्थायी पता (पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें) .....
   .....
6. पत्राचार/वर्तमान पता (पुष्टि में प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें).....
   .....
   .....
7. शैक्षिक योग्यता .....
8. वर्तमान तैनाती स्थान का पता .....
   .....
9. पद .....
10. पैन नं0 (संलग्न करें).....
11. ऋण का प्रयोजन.....
12. सेवायोजक का पद नाम .....
    सेवायोजक का पता .....
    ..... दूरभाष नं0/मोबाइल नं0 कोड सहित.....
13. (क) मासिक कुल परिलब्धियां .....
    (ख) मासिक कुल कटौतियाँ .....
    (ग) कुल भुगतान हेतु धनराशि (क–ख).....

14. प्रस्तावित गारन्टरों का विवरण :–

(क) नाम ..... पिता/पति का नाम .....

स्थायी पता (प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें) .....

.....

कार्यालय का पता .....

दूरभाष नं0/मोबाइल नं0 (कोड सहित).....

पैन नं0 .....

बैंक में खुले खाते का विवरण :–

बैंक शाखा का नाम ..... खाता संख्या.....

(ख) नाम ..... पिता/पति का नाम .....

स्थायी पता (प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें) .....

.....

कार्यालय का पता .....

दूरभाष नं0/मोबाइल नं0 (कोड सहित).....

पैन नं0 .....

बैंक में खुले खाते का विवरण:–

बैंक शाखा का नाम ..... खाता संख्या.....

उपरोक्त विवरण को आवश्यक संलग्नों के साथ उपलब्ध कराते हुए निम्न घोषणा करता/करती हूँ एवं वचन देता/देती हूँ, कि:–

1. ऊपर दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्नकों में दी गई सूचनायें सत्य एवं सही हैं
2. मैं, किसी बैंक/संस्था का बकायेदार नहीं हूँ और न ही मेरे विरूद्ध कोई विभागीय एवं भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है।
3. भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड/निबन्धक/शीर्ष बैंक/बैंक द्वारा जो भी समय–समय पर ब्याज दरें एवं बैंक नियम लागू किये जायेंगे, वे मुझे मान्य होंगे ।
4. यदि मेरे द्वारा स्थानीय पते में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना तुरन्त आपके कार्यालय को दी जायेगी ।
5. ऋण से सृजित सम्पत्ति पर प्रथम अधिकार बैंक का होगा ।
6. आवेदित व्यक्तिगत ऋण की ब्याज एवं अन्य शुल्क सहित अदायगी हेतु मैने अपने सेवायोजक को अधिकृत कर दिया है। सेवायोजक मेरे वेतन, ग्रेच्यूटी, प्रोवीडेन्ट फण्ड, अवकाश नकदीकरण, बीमा आदि से ऋण, ब्याज एवं अन्य शुल्क आदि की अदायगी हेतु अधिकृत हैं ।

7. मैं, बैंक द्वारा निर्धारित किस्त की धनराशि अपने वेतन से कटौती कराकर नियमित रूप से बैंक को भेजता रहूँगा/रहूँगी । यदि किन्हीं कारणों से वेतन से कटौती नहीं हो पाती है तो निर्धारित धनराशि कैश के रूप में बैंक शाखा में जमा कर दूँगा/दूँगी। यदि मेरे द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो बैंक, उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 भारतीय संविदा अधिनियम 1872 एवं भारतीय दंड संहिता के विभिन्न सुसंगत धाराओं के अन्दर कार्यवाही करते हुए मेरी चल–अचल सम्पत्ति से ऋण की ब्याज सहित वसूली करलें।

8. यदि मेरा स्थानान्तरण वर्तमान तैनाती स्थान से अन्यत्र हो जाता है तो मैं नव नियुक्त तैनाती स्थान के सेवायोजक से मासिक कटौती कराकर, समयान्तर्गत, मासिक रूप से ऋण की मासिक किस्त, ऋण की ब्याज सहित अदायगी तक, आपकी शाखा को भिजवाता रहूँगा/रहूँगी।

संलग्न– प्रारूप 2 से 12 तक।

गवाह के हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

पता.....

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

पता.....

.....

आवेदनकर्ता एवं गवाह द्वारा मेरे सम्मुख हस्ताक्षर किये गये ।

हस्ताक्षर शाखा प्रबंधक

जिला सहकारी बैंक लि0, गाजियाबाद

शाखा.....

प्रारूप–2

जिला सहकारी बैंक लि0, गाजियाबाद

आवेदक द्वारा नियोक्ता के पक्ष में वेतन/अन्य आस्तियों से मासिक कटौती/ऋण अदायगी के सम्बन्ध में अधिकार पत्रः–

मैं ..... पुत्र/पत्नी श्री .....

पता .....

अपने नियोक्ता ..... जिनके सेवानियोजन में, मैं,..... विभाग में ..... के पद पर कार्यरत हूँ, को यह अधिकार देता हूँ कि, वह मेरे वेतन से अंकन ..... शब्दों में .....) जिला सहकारी बैंक लि0,गाजियाबाद शाखा ..... के लिये गये व्यक्तिगत ऋण की अदायगी (12 प्रतिशत मासिक ब्याज सहित) हेतु, मेरे वेतन से अंकन ..... शब्दों में .....) मासिक रूप से कटौती करते हुए, पूर्ण ऋण अदायगी तक, जिला सहकारी बैंक लि0, गाजियाबाद शाखा ..... को भेजते रहें।

1– यदि किन्हीं कारणों से, जिसमें मृत्यु, त्याग पत्र, सेवाच्युति आदि सम्मिलित हैं, के कारण मुझे अपनी सेवा छोडनी पडती है तो मैं, अपने नियोक्ता को इस कार्यवाही के लिए अधिकृत करता हूँ कि वह बैंक के अवशेष ऋण की अदायगी मेरे बोनस, ग्रेच्युटी, पी0एफ0, बीमा, उपार्जित अवकाश आदि से अवशेष ऋण की एकमुस्त वसूली करते हुए बैंक में जमा करा दें।

2– मैं, वर्तमान नियोक्ता के साथ–साथ, आगामी नियोक्ता को भी इस कार्यवाही के लिए अधिकृत करता हूँ कि वह उक्त बैंक से लिये गये अवशेष ऋण की ब्याज सहित अदायगी हेतु क्र0सं0 1 के अनुसार मेरे वेतन/अन्य अस्तियों से कटौती कर उक्त बैंक में जमा कर दें।

3– मैंने, बैंक से लिये गये व्यक्तिगत ऋण की ब्याज सहित अदायगी हेतु उपरोक्त अधिकार पत्र उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 40 (1) के अन्तर्गत नियोक्ता को प्रदान किया है।

4– मैंने उपरोक्त अधिकार पत्र के मर्म को पूर्ण रूप से समझ लिया है एवं व्यक्तिगत ऋण के संदर्भ में पूर्ण स्वेच्छा एवं बिना किसी दबाव के नियोक्ता के पक्ष में उपरोक्तानुसार निष्पादित किया है।

दिनांक :

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम.....

पद.....

पता.....

प्रारूप–3

जिला सहकारी बैंक लि0, गाजियाबाद

व्यक्तिगत ऋण स्वीकृति के संदर्भ में सेवायोजक की संस्तुति

सेवा में
शाखा प्रबंधक
जिला सहकारी बैंक लि0, गाजियाबाद
शाखा .....

विषयः– श्री/श्रीमती ..... को व्यक्तिगत ऋण अंकन.....
शब्दों में ..... स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रिय महोदय,

अद्योहस्ताक्षरी प्रमाणित करता है कि श्री/श्रीमती .....
पुत्र/पत्नी श्री .....(विभाग का नाम) में .....
..... पद पर स्थायी रूप में कार्यरत है इनको अंकन ..... (शब्दों में .....
.....) व्यक्तिगत ऋण देने की संस्तुति की जाती है । इनके विरूद्ध न तो कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है और न ही प्रस्तावित है। इनको मासिक वेतन नियमित रूप से प्राप्त हो रहा है।

दिनांक :.....

भवदीय,

हस्ताक्षर
सेवायोजक का पद, नाम .....
कार्यालय पता,.....
मोहर सहित

गारन्टरों के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

अद्योहस्ताक्षरी प्रमाणित करता है कि श्री .....पिता/पति का नाम .....
पद ..... एवं श्री ..... पिता/पति का नाम .....
पद ..... (विभाग का नाम)..... में स्थायी रूप से कार्यरत हैं इनके विरूद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही न तो चल रही है और न ही प्रस्तावित है । उपरोक्त दोनों कर्मचारी/अधिकारियों को श्री .....
..... पिता का नाम ..... पद ..... को प्रस्तावित उपरोक्त व्यक्तिगत ऋण की गारन्टी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

दिनांक :.....

भवदीय,

हस्ताक्षर
सेवायोजक का पद, नाम .....
कार्यालय पता,.....
मोहर सहित

प्रारूप–4

जिला सहकारी बैंक लि0, गाजियाबाद

नियोक्ता द्वारा जिला सहकारी बैंक लि0, गाजियाबाद के पक्ष में निष्पादित मैमोरम ऑफ अण्डरटेकिंग

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 .....पुत्र/पत्नी/पति श्री ..... निवासी ....(विभाग का नाम,) .....में ..... पद पर स्थायी रूप से कार्यरत है । विभागीय अभिलेखों के अनुसार इनकी सेवानिवृत्ति तिथि .....है। माह..... के अनुसार इनकी मासिक परिलब्धियों एवं कटौतियों का विवरण निम्नवत है:–

(धनराशि रूपये पैसे में)

क मूलवेतन .....

ख. महगाई भत्ता .....

ग. अन्य भत्ते .....

कुल परिलब्धियॉ .....

कुल कटौतियॉ .....

कुल शुद्ध देय .....

कल शद्ध देय (शब्दों में .....)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री .... को जिला सहकारी बैंक लि0, गाजियाबाद शाखा ..... द्वारा दिये जाने वाले व्यक्तिगत ऋण अंकन ..... (शब्दों में .....) की निर्धारित किस्त की प्रतिमाह कटौती कर उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 40 (1, 2, 3) के अन्तर्गत 7 दिन के अन्दर प्रतिमाह बैंक शाखा में जमा की जाती रहेगी । यह कटौती बैंक के ऋण, ब्याज एवं अन्य शुल्क सहित अदायगी तक जारी रहेगी । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कर्मचारी/अधिकारी के पदच्युति, त्यागपत्र, निलम्बन, सेवा निवृत्त, मृत्यु, ट्रान्सफर आदि की स्थिति में उसके पीएफ, ग्रेच्यूटी, अवकाश नकदीकरण एवं अन्य अस्तियों में से बैंक के ऋण, ब्याज एवं अन्य शुल्क सहित अदायगी एक मुस्त की जायेगी। ऋण की ब्याज सहित पूर्ण अदायगी के लिए, अद्योहस्ताक्षरी की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। उपरोक्त कर्मचारी/अधिकारी के स्थानान्तरण की स्थिति में उसके अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र पर ऋण एवं ऋण की मासिक कटौती के संदर्भ में उल्लेख अंकित किया जायेगा। बैंक से नोड्यूज प्रमाण पत्र प्राप्त होने की स्थिति में ही मासिक कटौती रोकी जायेगी एवं कर्मचारी को उसके देयको का भुगतान किया जायेगा।

दिनांक:.....

नियोक्ता के हस्ताक्षर

पदनाम.....

पता.....

ऑफिस मोहर

नियोक्ता के हस्ताक्षर प्रमाणित

शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर

प्रारूप–5

डिमाण्ड प्रोमाइजरी प्रोनोट

स्थान.....

रू0.....

दिनांक .....

मैं, ...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... जिला सहकारी बैंक लि०, गाजियाबाद शाखा ..... को वचन देता/देती हूँ कि उसकी मांग अथवा आदेश पर लिये गये व्यक्तिगत ऋण अंकन ..... (शब्दों में .....) की धनराशि ..... प्रतिशत मासिक ब्याज दर पर अदा करने का वचन देता/देती हूँ।

हस्ताक्षर

नाम .....

पद.....

पता.....

एक रू0 का
रसीदी टिकट
हस्ताक्षर सहित

प्रारूप–6

जिला सहकारी बैंक लि0, गाजियाबाद

(100.00 रूपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित)

आवेदक/ऋणी के साथ बैंक का टर्म लोन एग्रीमेन्ट

यह टर्म लोन एग्रीमेन्ट दिनांक ..... को श्री ..... पद ..... पति/पत्नी श्री ..... पता .... जिसे आगे ऋणी कहा गया है । और यह उसके सभी विधिक उत्तराधिकारियों, प्रतिनिधियों, निष्पादक अथवा ऋणी के तरफ से अधिकार प्राप्त है) एवं जिला सहकारी बैंक लि0, गाजियाबाद शाखा ..... जो कि, (उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965, उ0 प्र0 अधिनियम नं0 11, 1966) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड सहकारी समिति है एवं जिसका मुख्य कार्यालय आर0डी0सी0 ए–20, राजनगर, गाजियाबाद में स्थिति है, जिसे आगे बैंक कहा जायेगा, के प्रतिनिधि (पद स्थानी/अधिकृत प्रतिनिधि) के मध्य सम्पादित हुआ।

ऋणी द्वारा बैंक की व्यक्तिगत ऋण योजना के अन्तर्गत अंकन ..... शब्दों में .... ऋण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। ऋणी द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचनाओं, वेतन से ऋण कटौती सम्बन्धी नियोजक के प्रमाण पत्र एवं प्रस्तुत गारन्टरों के गारन्टी के परिपेक्ष्य में ऋणी को अंकन .... व्यक्तिगत ऋण स्वीकृति पर बैंक द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

ऋण स्वीकृति के संदर्भ में ऋणी एवं बैंक के मध्य निम्न बिन्दुओं पर एग्रीमेन्ट हुआ

1. बैंक , ऋणी को अंकन ..... (शब्दों में .....) का व्यक्तिगत ऋण देगा एवं ऋणी बैंक के निर्देशानुसार मासिक किस्त की धनराशि मासिक रूप से अपने वेतन से कटौती कराकर, नियोक्ता के माध्यम से, ऋण, ब्याज एवं अन्य शुल्क सहित अदायगी तक, बैंक में जमा करायेगा।
2. बैंक द्वारा ऋणी से ..... प्रतिशत की दर से ब्याज चार्ज किया जायेगा। ब्याज की गणना मासिक आधार पर करते हुए, ऋणी के व्यक्तिगत ऋण खाते में डेविट की जायेगी।
3. मासिक किस्त की समय से अदायगी न होने की स्थिति में बकाये की धनराशि पर 2 प्रतिशत की दर से दण्ड ब्याज बैंक द्वारा ऋणी से वसूल किया जायेगा।
4. ऋणी से वसूल किये जाने वाले ब्याज की दर रिजर्व बैंक/नाबार्ड/निबन्धक/शीर्ष बैंक/बैंक के निर्देशों के अधीन परिवर्तनीय है, जो ऋणी को मान्य होगी।
5. यदि ऋणी द्वारा गलत सूचनाओं, तथ्यों के आधार पर बैंक से ऋण प्राप्त कर लिया गया है अथवा ऋणी द्वारा समय से निर्धारित मासिक किस्तों की धनराशि बैंक में जमा नहीं कराई जाती है अथवा ऋणी अनुबन्ध की किसी धारा का उल्लंघन किया जाता है, तो बैंक को अधिकार होगा कि वह ऋणी से अवशेष ऋण की धनराशि ब्याज एवं अन्य देयताओं सहित एकमुस्त वसूल करलें।
6. यदि ऋणी द्वारा समय से निर्धारित मासिक किस्त की अदायगी नहीं की जाती है, तो बैंक को उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 एवं भारतीय दंण्ड संहिता के सुसंगठित प्रावधानों के अन्तर्गत वसूली करने का अधिकार होगा। जिसमें ऋणी द्वारा पूर्ण सहयोग किया जायेगा।

7. ऋणी द्वारा मासिक किस्त की धनराशि उसी बैंक शाखा में जमा करायी जायेगी, जिस बैंक शाखा से ऋणी द्वारा ऋण लिया गया है।

8. यदि बैंक द्वारा अपनी पालिसी के अन्तर्गत ऋणी से प्रासंगिक व्यय वसूलने का निर्णय लिया जाता है, तो वह बैंक द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के वसूला जा सकता है। जिसपर ऋणी को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

9. यदि किन्हीं कारणोंवश ऋणी को नौकरी छोडनी पडती है या नौकरी से त्याग पत्र दिया जाता है अथवा नियोक्ता द्वारा सेवाच्युत किया जाता है तो बैंक को यह अधिकार होगा कि वह ऋणी को प्राप्त होने वाली आस्तियों जैसे वोनस, उपार्जित अवकाश , ग्रेच्युटी, पी0एफ0, बीमा आदि से अवशेष ऋण की दण्ड ब्याज सहित वसूली कर लें । यदि बैंक ऋणी को दिये गये व्यक्तिगत ऋण की वसूली उपरोक्त मदों से भी नहीं कर पाता है तो बैंक को पूर्ण अधिकार होगा वह ऋणी के कानूनी उत्तराधिकारियों एवं ऋणी की चल–अचल सम्पत्ति से इसकी वसूली कर लें।

10. बैंक द्वारा अपने ऋण की वसूली हेतु जो भी कानूनी कार्यवाही की जायेगी, कानूनी कार्यवाही में आये हर्जे खर्चे की पूर्ण जिम्मेदारी ऋणी की होगी।

11. यदि ऋणी द्वारा स्थानीय पते में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसकी पूर्ण सूचना तुरन्त बैंक शाखा कार्यालय को प्राप्त कराई जायेगी।

12. करार किया जाता है कि इसमें किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी और ऋण के प्रति संदाय के लिए नियत किस्तों की तारीखों के प्रति संदाय के लिए नियत तारीख के होते हुए भी बैंक लिखित रूप में सूचना द्वारा मांग करने, और अपने एक मात्र विवेकानुसार सम्पूर्ण बकाया रकम और उस पर ब्याज और अन्य प्रभार प्रतिभूतियों को प्रवत्त कराकर वसूल करने या अन्य रीति से जो बैंक उचित समझे वसूल करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

13. ऋणी करार करता है कि यदि बैंक की राय में ऋणी के लिए उसके द्वारा करार पाये गये अनुसार ऋण का प्रतिसंदाय (Repayment) करना कठिन है तो बैंक को सवितरण और/या प्रतिसंदाय (Repayment) के कार्यक्रम को पुनः चरणवद्ध करने से कोई बात प्रतिसिद्ध (Prohibited) नही करेगी और सवितरण या प्रतिसंदाय (Repayment) का कार्यक्रम जो बैंक द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और वह ऋणी को सूचित किया जायेगा। वह ऋणी और गारन्टर पर आवद्ध कारी होगा। और इसे, इस करार में सम्मिलित समझा जायेगा।

14. ऋणी बैंक को अपनी सहमति देता है कि बैंक द्वारा ऋण आवेदन पत्र के अनुसार उससे सम्बन्धित सूचना और आंकडा उसके द्वारा ली गयी/ली जाने वाली किसी उधार सुविधा सम्बन्धित सूचना या आंकडे और उसकी ऐसी बाध्यता के निर्वाहन में उसके द्वारा किया गया व्यतिक्रम (Default) को प्रकट करने हेतु, जिसे बैंक उचित समझता हो, बैंक प्रकट कर सकता है।

15. ऋणी बैंक के समक्ष यह घोषणा करता है कि बैंक से व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने हेतु ऋणी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अथवा संलग्नकों के माध्यम से जो भी सूचना और आंकडे बैंक को दिये गये हैं वे सभी सत्य एवं सही हैं।

साक्षी	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर ऋणी
नाम.....	शाखा प्रबंधक	नाम.....
पता.....	शाखा.....	पता.....

प्रारूप –7

जिला सहकारी बैंक लि0, गाजियाबाद

(100 रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित)

व्यक्तिगत ऋण गारन्टी करार

यह गारन्टीकरार ..... (स्थान) पर दिनांक .....को प्रथम पक्ष श्री ..... पुत्र ..... निवासी ..... (प्रथम गारन्टर)/श्री ..... पुत्र ..... निवासी.....(द्वितीय गारन्टर) (जिन्हें आगे गारन्टी कर्ता कहा गया है) जिसे अभिव्यक्ति में अनुकूल होने पर उनके वारिस/उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक तथा समानुदेशी और अभिप्रेत शामिल होंगे तथा द्वितीय पक्षकार के रूप में जिला सहकारी बैंक लि0, गाजियाबाद, शाखा .....जो उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 के आधीन निबन्धित सहकारी समिति है और जिसका प्रधान कार्यालय आर0डी0सी0 ए0–20, राजनगर में है, (जिसे आगे बैंक कहा गया है, के प्रतिनिधि, पद स्थानी/अधिकृत प्रतिनिधि के मध्य सम्पादित हुआ।

उपरोक्त गारन्टी कर्ताओं के अनुरोध पर जिला सहकारी बैंक लि0, गाजियाबाद शाखा .....द्वारा श्री ..... पुत्र ..... निवासी ..... जिसे आगे ऋणीकर्ता कहा गया है, को व्यक्तिगत ऋण अंकन ..... (शब्दों में ....) देने को सहमत है।

अतः अब यह करार इस बात का साक्षी है कि गारन्टीकर्ता (ओ) के अनुरोध पर बैंक द्वारा ऋणी को दिये जाने वाले व्यक्तिगत ऋण की मंजूरी दिये जाने के प्रति फलस्वरूप, गारन्टीकर्ता एतद् द्वारा बैंक के साथ निम्नलिखित करार करते/करती हैं।

1. गारन्टीकर्ता एतद् द्वारा संयुक्त तथा पृथक रूप से गारन्टी देता है/देते हैं कि वे बैंक द्वारा लिखित में मांग किये जाने पर उसे उक्त ऋणी के सम्बन्ध में दिये गये व्यक्तिगत ऋण खाते में (जिन्हें आगे 'व्यक्तिगत ऋणी' कहा गया है) ऋणकर्ता की ओर से बैंक को उस समय देय तथा किसी भी समय देय होने वाले भुगतान की तारीख तक के मूलधन की राशि, ब्याज, खर्चों तथा सभी हानियो तथा क्षतियों, खर्चों, व्ययों तथा कानूनी खर्चों के मामले में मुवक्किल के रूप में बैंक पर पडने वाले अटर्नी के खर्च जो ऐसे मामले में ऋणीकर्ता की अस्थायी अथवा अन्य त्रृटि या भूल चूक के कारण बैंक पर पडे हो या जिनमे (उपर्युक्त के अनुसार) मुकदमा द्वारा या अन्यथा अथवा उक्त ऋणग्रस्तव्य या किसी भी रूप में अन्यथा किसी भी प्रतिभूति के प्रवर्तन या प्रयावित प्रवर्तन या वसूली द्वारा भुगतान खर्चे अथवा बैंक द्वारा वहन किये गये कोई भी खर्चे (जो कि उपर्युक्त के अनुसार होगे) या व्यय जिन्हे कि

बैंक को ऐसी किन्हीं भी प्रतिभूति या उनसे प्राप्त किन्ही भी राशियों के सम्बन्ध में अन्य के साथ या बिना किसी भी ऐसी कार्यवाही में संयोजित होने के कारण जिससे कि बैंक को पार्टी बनाया जाये । या जिसका वह स्वयं पार्टी बने शामिल होंगे या भुगतान करेगा/करेंगे।

2. गारन्टी कर्ता एतद् द्वारा घोषण करता/करते हैं कि यह गारन्टी एक सत्त गारन्टी होगी तथा व्यक्तिगत ऋण के सम्बन्ध में अलग–अलग रूप से चालू रहेगी और बैंक अपने विवेक से उसे इस प्रकार परिवर्तित कर सकता है मानों गारन्टी कर्ता (ओं) ऋणी के व्यक्तिगत ऋण के लिए अलग–अलग गारन्टी दी हो। किसी भी समय अथवा समय–समय पर उक्त खातों में से किसी एक में भी ऋणकर्ता (ओं) के विरूद्ध कोई देयता न होने या खाते में उनके पक्ष में जमा शेष होने की स्थिति के कारण गारंटी को रदद् अथवा किसी भी रूप में प्रभावित हुयी नहीं समझा जायेगा और यह गारंटी खातों के बन्द होने तक बाद के सभी लेन–देनों के सम्बन्ध में जारी तथा चालू रहेगी।

3. गारंटीकर्ता (ओं) एतद्द्वारा सहमत है/हैं कि बैंक उसे/उन्हें बताये अथवा कोई नोटिस दिये बिना ऋणकर्ता के साथ संविदा की शर्तों में कोई भी ऐसे परिवर्तन कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे और इसमें खाते पर लागू ब्याज की दर में परिवर्तन करना भी शामिल है। गारंटीकर्ता इस बात से भी सहमत है/हैं कि बैंक चाहे तो किसी भी किस्म की अतिरिक्त समपाश्विक प्रतिभूति स्वीकार कर सकता है ऋणकर्ता को दिये गये किसी ऋण का अवधारण कर सकता है, उसे बढा सकता है अथवा उसमें परिवर्तन कर सकता है अथवा उसके/उनके साथ कोई समझौता कर सकता है अथवा उसे/उन्हें समय देने या उस/उन पर मुकद्मा न करने का वचन दे सकता है और बैंक गारण्टीकरण ऋण के लिये रखी गयी किसी भी प्रतिभूति को छोड सकता है । गारंटीकर्ता इस बात से भी सहमत हैं कि बैक द्वारा ऋणकर्ता को उनकी देयता से मुक्त कर देने अथवा बैंक की किसी ऐसी कार्यवाही या चूक के कारण जिसके कि कानूनी परिणाम ऋणकर्ता की दायित्व–मुक्ति हों अथवा बैंक के किसी भी ऐसे कार्य के कारण जोकि इस उपबन्ध के न होने की स्थिति में, गारंटीकर्ता के रूप में उसके/उनके अधिकारों के विपरीत हों अथवा बैंक द्वारा कोई ऐसा कार्य न करने के कारण जिसे कि इस उपबन्ध के न होने की स्थिति में बैंक के कर्त्तव्यों के अनुसार बैंक के लिये करना अपेक्षित होगा, गारंटीकर्ता अपनी देयताओं से दायित्व–मुक्त नही होगा/होंगे। गारंटीकर्ता (ओं) द्वारा संविदा के उपबन्धों में किये गये किसी भी परिवर्तन के कानूनी परिणामों मे लाभों तथा भारतीय संविदा के अधिनियम की धारा 133, 134, 135, 139 और 141 द्वारा गारंटीकर्ता को प्रदत्त किन्हीं भी अधिकारों का दावा करने का/के हकदार नहीं होगा/होंगे। गारंटीकर्ता इस बात से भी सहमत है/हैं कि बैंक द्वारा कोई भी अनियमित अथवा सहमत किस्त (तों) की राशि से कम राशि का भुगतान स्वीकार कर लिये जाने के कारण, चाहे वह भुगतान ऋणकर्ता द्वारा देय तिथि को या उससे पहले या उसके बाद में किया गया हो, गारंटीकर्ता अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जायेगा/जायेंगे और इस तरह की स्वीकृति कोई नई अथवा ताजी संविदा के न तो समान होगी और न उसका निर्माण करेगी। गारंटीकर्ता इस बात से भी सहमत है/हैं कि ऋणकर्ताओं द्वारा किसी भी समय अथवा समय–समय पर की गयी किन्हीं भी चूकों के सम्बन्ध में बैंक उसे/उन्हें सूचित करने के लिये बाध्य नहीं होगा।

4. गारंटीकर्ता यह भी घोषणा करता है/करते हैं कि बैंक द्वारा ऋणकर्ता अथवा उसके/उनके प्रति उत्तरदायी अन्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों, अथवा उसके या उनके प्रतिनिधियों से प्राप्त सभी लाभांशों समझौता राशियों या भुगतानों को सकल राशि के भुगतान के रूप में माना और प्रयुक्त किया जायेगा और गारंटीकर्ता तथा उसके/उनके प्रतिनिधियों को किसी भी ऐसे लाभांशों, समझौता राशियों या भुगतान के लाभ के लिये तब तक दावा करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऋणकर्ता अथवा उसके/उनके प्रतिनिधियों के विरूद्ध बैंक की इस गारंटी के अन्तर्गत आने वाली पूरी राशि के सभी ऋणों का भुगतान नही हो जाता।

5. बैंक द्वारा ऋणकर्ता को ऋणसीमा, अग्रिम ओवरड्राफ्ट अथवा अन्य ऋण सुविधायें दिये जाने अथवा उससे/उनके कोई अन्य गारंटी या प्रतिभूति प्राप्त करने से इस करार के अन्तर्गत गारंटीकर्ता (ओं) की देयता न तो आधारित होगी, न उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पडेगा और न ही वह कम होगी।

6. गारंटीकर्ता इस बात से भी सहमत है/हैं बैंक तथा ऋणकर्ता के बीच निपटाये गये कोई भी खाते अथवा उसके/उनके प्राधिकृत एजेन्टों द्वारा स्वीकृत या पुष्टिकृत उक्त खातों में बैंक को देय राशियां निर्णायक होंगी और गारंटकर्ता (ओं) द्वारा उनके सम्बन्ध में कोई विवाद अथवा प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे।

7. गारण्टीकर्ता, ऋणकर्ता अथवा उसके/उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को खाते के परिचालन तथा प्रत्येक सह–गारंटीकर्ता को, उसकी/उनकी ओर से गारंटीकर्ता के रूप में, समय–समय पर देय राशि की पुष्टि करने तथा देय की अभिस्वीकृति देने के लिये एजेण्ट के रूप में प्राधिकृत और नियुक्त करता/करते हैं गारण्टीकर्ता इस बात से भी सहमत है/हैं कि ऋणकर्ता की ओर से एजेन्ट के रूप में किसी/किन्हीं भी सहगारंटीकर्ताओं द्वारा दी गयी किसी भी देयता की अभिस्वीकृति, ऋण परिसीमा को नये सिरे से आरम्भ करने तथा असके/उनके विरूद्ध देयता की स्वीकृति के लिये उस/उन पर बाध्यकारी होगी।

8. यदि ऋणकर्ता बैंक को गारंटीकर्ता (ओं) द्वारा गारंटीकृत राशि का भुगतान कर देता है/देते हैं और उसके परिणामस्वरूप बैंक गारंटीकर्ता (ओं) को इस गारंटी के अन्तर्गत सभी देयताओं से दायित्वमुक्त कर देता है, लेकिन बाद में न्यायालय द्वारा अथवा यह अवधारित किया जाता है कि उक्त भुगतान कपटपूर्ण अधिमान के आधार पर किया गया है तथा बैंक को उक्त राशि लौटानी पडती है, तो ऐसी स्थिति में इस गारंटी के आधार पर बैंक के प्रति गारंटीकर्ता (ओं) की देयता उसी सीमा तथा उसी तरह फिर लागू हो जायेगी मानो वह भुगतान कभी किया ही न गया हो।

9. गारंटीकर्ता इस बात से भी सहमत है/हैं बैंक अपने पास ग्रहणाधिकार, दृष्टिबन्धक, गिरवी अथवा बन्धक के रूप में रखी प्रतिभूतियों में से किसी भी प्रतिभूति को प्रवर्तित किये, बेचे अथवा उगाहे बिना ही ऋणकर्ता (ओं) द्वारा उक्त खातें में दिये गये किन्ही भी बिलों या अन्य लिखतों के वसूली के लिये परिचालन में और बकाया होने के बावजूद, इस गारंटीकर्ता को प्रवर्तित कर सकता है।

10. इस गारंटी के अन्तर्गत जब तक कोई राशि ऋण के रूप में बकाया रहती है, तब तक गारंटीकर्ता (ओं) को सभी जमा राशियों तथा बैंक के पास गारंटीकर्ता (ओं) में से भी सम्बन्धित किन्हीं भी प्रतिभूतियों पर बैंक ग्रहणाधिकार है तथा बैंक को उसे विनियोजित/समायोजित/वसूल करने का अधिकार होगा।

11. ऋणकर्ता की ओर से ऋण शक्तियों में किसी अभाव अथवा शिथिलता अथवा उन शक्तियों के प्रयोग में किसी भी तरह की अनियमितता के कारण गारंटीकर्ता (ओं) की देयता पर कोई प्रभाव नही पडेगा और उस अभाव, शिथिलता या अनियमितता के बावजूद ऋणकर्ता को दी गयी कोई भी राशियां देय और बाकी मानी जायेगी और ऋणकर्ता के नाम/मों या उसके/उनके गठन में किसी परिवर्तन का इस गारंटी पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाता है कि गारंटी, गारंटीकर्ता (ओं) के विरूद्ध प्रर्वतनीय रहेगी चाहे ऋणकर्ता तथा उसके लेनदार के बीच की गयी संविदा के रूप में प्रर्वतनीय हो या नहीं। इस बात को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाता है कि यदि गारंटीकर्ता (ओं) द्वारा दी गयी गारंटी प्रवर्तित न की जा सकती हो अथवा किसी भी कारण से यह गारंटी कानूनी रूप से अप्रवर्तनीय हो जाये, तो इस करार के अन्तर्गत दी गयी गारंटी, गारंटीकर्ता (ओं) के विरूद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में प्रवर्तित कर दी जाये और गारंटीकर्ता बैंक की किसी भी ऐसी हानि, क्षति, खर्चों या अन्य प्रभारों की क्षतिपूर्ति और प्रतिपूर्ति करने के लिये सहमत है/हैं और वचन देता/देते हैं जोकि बैंक द्वारा ऋणकर्ता से उसके खातों से वसूली और उगाही जानी हो।

12. इस गारंटी के अन्तर्गत बैंक द्वारा गारंटीकर्ता (ओं) को इस करार में दिये गये पते पर डाक से भेजा गया कोई नोटिस अथवा लिखित मांग उसे/उन्हें विधिवत दिया गया नोटिस या मांग माना जायेगा जो प्रभावी होगा/होगी, चाहे उसके/उनके घर के पते/पतों में कोई परिवर्तन हो गया हो अथवा उनमें से किसी की मृत्यु हो गयी हो और चाहे उसका नोटिस बैंक को दे दिया गया हो और डाक में डाले जाने के 24 घंटे के बाद ऐसी मांग गारंटीकर्ता (ओं) द्वारा प्राप्त मानी जायेगी और इस बात का पर्याप्त प्रमाण होगा कि मांग से सम्बन्धित पत्र पर सही पता लिखा गया था और उसे डाक में डाला गया था।

13. गारंटीकर्ता इस बात से सहमत है/हैं कि जिस कार्यालय में प्रधान देनदार का खाता हो वहां के तत्कालीन प्रबन्धक अथवा अन्य किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, बैंक की बहियों में दिये गये प्रधान देनदार के खाते की प्रति, उस समय प्रधान देनदार द्वारा बैंक को किसी भी खाते में देय राशि अथवा इस गारंटी पर उसके/उनके विरूद्ध शुरू की गयी अन्य कार्यवाहियों में उसके/उनके विरूद्ध निर्णायक साक्ष्य होगा।

14. तदनुसार, मैं/हम, एतद्द्वारा करार करता हूँ/करते हैं और बैंक द्वारा निम्नलिखित सभी का या किसी एक का प्रकटीकरण के लिए सहमति देता हूँ/देते हैं :–

    क. मुझसे/हमसे संबंधित सूचना और ऑकड़ा :

    ख. बैंक द्वारा मंजूर/मंजूर की जानेवाली और मेरे/हमारे द्वारा प्रत्याभूति दाता के रूप में प्रत्याभूति किसी ऋण सुविधा के संबंध में मेरे/हमारे दायित्वों से संबंधित सूचना और आंकडा, और

    ग. मेरी/हमारी ऐसी बाध्यता के निर्वहन में मेरे/हमारे द्वारा किया गया व्यतिक्रम, यदि कोई हो,

15. इस उधार/ओवरड्राफ्ट को शासित करने वाले नियमों और सामयिक रूप से भरे जाने के पश्चात इन दस्तावेजों की अंतरवस्तुओं को मुझे/हमें उस भाषा में पढकर सुना दिया गया है जिसे मैं/हम जानते हैं तथा मैं/हम एतद्द्वारा यह करार करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम इस समय प्रवृत्त और समय–समय पर यथा संशोधित बैंक के नियमों द्वारा मुझे/हमें कोई और सूचना दिए बिना वह हम पर आबद्ध होंगे।

हम गारन्टीकर्ताओं ने गारन्टी करार के मर्म को पूर्ण रूप से पढकर समझ लिया है, एवं ऋणी को व्यक्तिगत ऋण की गारन्टी के संदर्भ में पूर्ण स्वेच्छा एवं बिना किसी दबाव के बैंक के साथ निष्पादित किया है।

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप इस करार पर गारंटीकर्ता (ओं) तथा बैंक ने ..... दिनांक ..... को अपने हस्ताक्षर किये हैं।

साक्षी	हस्ताक्षर गारन्टीकर्ता	हस्ताक्षर गारन्टीकर्ता
हस्ताक्षर	नाम	नाम
नाम	पद	पद
पता	पता	पता

वास्ते जिला सहकारी बैंक लि0,
गाजियाबाद

शाखा प्रबंधक,
शाखा .....

प्रारूप 8(क)

फोटो युक्त नोटरी शपथ पत्र
(10.00 रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित)

शपथ पत्र

आवेदक/ऋणी की तरफ से

समक्षः– शाखा प्रबंधक,

जिला सहकारी बैंक लि0, गाजियाबाद, शाखा .....

ओर से :– नाम (आवेदक) .....पिता/पति/पत्नी.....
मकान नं0.....मोहल्ला..... ग्राम ..... डाकखाना.....
जिला..... उ0 प्र0 का हूँ ।

1– यह कि मेरा उपरोक्त नाम व पता सही है ।

2– यह कि मैं जिला सहकारी बैंक लि0, गाजियाबाद की शाखा..... से अंकन .....
.....(शब्दों में.....) व्यक्तिगत ऋण ले रहा/रही हूँ।

3– यह कि मैने अन्य किसी बैंक एवं किसी वित्तीय संस्थान से कोई ऋण नहीं लिया है।

4– यह कि मैं किसी बैंक एवं किसी वित्तीय संस्धान का बकायेदार नही हूँ।

5– यह कि जिस प्रयोजन के लिए ऋण ले रहा हूँ/रही हूँ उसी मद में प्रयोग करूँगा/करूँगी, किसी अन्य मद में दुरूपयोग नहीं करूँगा/करूँगी।

6– यह कि मैं ऋण की निर्धारित किस्त की कटौती अपने सेवायोजक से नियमित रूप से मासिक आधार पर कराकर आपकी शाखा में भेजता रहूँगा/रहूँगी।

7– मासिक किस्त की कटौती ऋण, ब्याज एवं अन्य शुल्क की पूर्ण अदायगी तक जारी रखी जायेगी। मासिक कटौती किसी भी दशा में रोकी नहीं जायेगी।

8– उपरोक्त ऋण की ब्याज एवं अन्य शुल्क सहित अदायगी हेतु मैने अपने सेवायोजक को अधिकृत कर दिया है। सेवायोजक मेरे वेतन, ग्रेच्युटी, प्रोवीडेन्ट फण्ड, बीमा आदि से ऋण, ब्याज एवं अन्य शुल्क की अदायगी हेतु अधिकृत हैं।

9– ऋण से सृजित सम्पत्ति पर प्रथम प्रभार बैंक का होगा ।

10– यह कि मैं ..... (संस्था/ विभाग का नाम) में .....
..... पद पर कार्यरत हूँ। मेरी जन्म तिथि ..... है एवं मेरी इस समय आयु ..... वर्ष है।

11– मेरे पास ..... (अचल सम्पत्ति का नाम) है । जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ..... रूपया है।

12– यह कि मैं बैंक के सभी नियमों एवं शर्तों, प्रतिबन्धों का पालन करूँगा/करूँगी एवं बैंक नियमों से बाध्य रहूँगा/रहूँगी।

हस्ताक्षर

नाम.....

प्रारूप 8(ख)

फोटो युक्त नोटरी शपथ पत्र
(10.00 रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित)

शपथ पत्र

गारण्टर की तरफ से

समक्षः– शाखा प्रबंधक,

जिला सहकारी बैंक लि0, गाजियाबाद, शाखा .....

ओर से :– नाम (गारण्टर) ..... पिता/पति/पत्नी .....
मकान नं0..... मोहल्ला.....ग्राम.....डाकखाना .....
जिला..... उ0 प्र0 का हूँ।

1– यह कि मेरा उपरोक्त नाम व पता सही है।

2– यह कि आपकी शाखा.....से (आवेदक).....
पति/पत्नी श्री ..... मकान नं0..... मोहल्ला.....
..... ग्राम ..... डाकखाना ..... जिला .....
व्यक्तिगत ऋण अंकन ..... (शब्दों में .....) ले रहे हैं।

3– यह कि आवेदक ..... पति/पत्नी .....
मकान नं0.....मोहल्ला..... ग्राम ..... डाकखाना.....
जिला..... के व्यक्तिगत ऋण की गारन्टी दे रहा हूँ।

4– यह कि उपरोक्त ऋणी/ऋण आवेदनकर्ता नाम..... पति/पत्नी .....
..... मकान नं0..... मोहल्ला..... ग्राम.....
डाकखाना..... जिला..... यदि समय से ऋण की अदायगी नहीं करते हैं तो मैं उपरोक्त ऋण की अदायगी/वसूली के लिये पूर्ण जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

5– यह कि मैं ..... (संस्था/विभाग का नाम) में ..... पद पर कार्यरत हूँ।
मेरी जन्मतिथि..... है एवं मेरी इस समय आयु ..... वर्ष है।

6– मेरे पास ..... (अचल सम्पत्ति का नाम) है। जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ....
..... रूपया है।

7– यह कि उपरोक्त ऋण बकाया पड़ने पर पूर्ण धनराशि में ब्याज सहित एक मुस्त जमा कर दूँगा/कर दूँगी।

8– यह कि मैं जमानतदार/सिक्योरिटीकर्ता की हैशियत से बैंक के नियमों, शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी, एवं बैंक के नियमों से बाध्य रहूँगा/रहूँगी।

यह कि शपथ पत्र की धारा 01 से 08 तक के उपरोक्त कथन सत्य एवं सही हैं, कुछ छिपाया नहीं गया है, ईश्वर साक्षी है।

दिनांक :.....

हस्ताक्षर

नाम.....

प्रारूप 8(ग)

फोटो युक्त नोटरी शपथ पत्र
(10.00 रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित)

शपथ पत्र
गारण्टर की तरफ से

समक्षः– शाखा प्रबंधक,

जिला सहकारी बैंक लि0, गाजियाबाद, शाखा .....

ओर सेः– नाम (गारण्टर) .....पिता/पति/पत्नी .....
मकान नं0.....मोहल्ला.....ग्राम.....
डाकखाना ..... जिला..... उ0 प्र0 का हूँ।

1– यह कि मेरा उपरोक्त नाम व पता सही है।

2– यह कि आपकी शाखा.....से (आवेदक).....
पति/पत्नी श्री ..... मकान नं0..... मोहल्ला.....
..... ग्राम ..... डाकखाना ..... जिला .....
व्यक्तिगत ऋण अंकन ..... (शब्दों में .....) ले रहे हैं।

3– यह कि आवेदक ..... पति/पत्नी .....
मकान नं0.....मोहल्ला..... ग्राम ..... डाकखाना.....
जिला..... के व्यक्तिगत ऋण की गारन्टी दे रहा हूँ।

4– यह कि उपरोक्त ऋणी/ऋण आवेदनकर्ता नाम..... पति/पत्नी .....
..... मकान नं0..... मोहल्ला..... ग्रम.....
डाकखाना..... जिला..... यदि समय से ऋण की अदायगी नहीं करते हैं तो मैं उपरोक्त ऋण की अदायगी/वसूली के लिये पूर्ण ज़िम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

5– यह कि मैं ..... (संस्था/विभाग का नाम) में ..... पद पर कार्यरत हूँ।
मेरी जन्मतिथि..... है एवं मेरी इस समय आयु ..... वर्ष है।

6– मेरे पास ..... (अचल सम्पत्ति का नाम) है। जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ....
..... रूपया है।

7– यह कि उपरोक्त ऋण बकाया पडने पर पूर्ण धनराशि में ब्याज सहित एक मुस्त जमा कर दूँगा/कर दूँगी।

8– यह कि मैं जमानतदार/सिक्योरिटीकर्ता की हैशियत से बैंक के नियमों, शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी, एवं बैंक के नियमों से बाध्य रहूँगा/रहूँगी।

यह कि शपथ पत्र की धारा 01 से 08 तक के उपरोक्त कथन सत्य एवं सही हैं, कुछ छिपाया नहीं गया है, ईश्वर साक्षी है।

दिनांकः.....

हस्ताक्षर

नाम.....

प्रारूप 09(क)

नाम मात्रिक सदस्यता हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

शाखा प्रबंधक

जिला सहकारी बैंक लि0, गाजियाबाद

शाखा.....

महोदय,

मैं, ... आपकी संस्था जिला सहकारी बैंक लि0, गाजियाबाद, जो कि उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अन्तर्गत निबन्धित सहकारी संस्था है, का नाम मात्रिक सदस्य बनना चाहता हूँ । इसके लिये मैं निर्धारित शुल्क अंकन 10.00 रूपये जमा कर रहा हूँ।

मैं, उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 द्वारा, नाम मात्रिक सदस्यता हेतु, निर्धारित सभी पात्रतायें रखता हूँ, एवं वचन देता हूँ कि उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 एवं उ0 प्र0 सहकारी समिति विनियमावली 1968 एवं आपके बैंक बायलाज द्वारा निर्धारित शर्तों, उपबन्धों एवं निर्देशों का पालन करूँगा। मेरा सूक्ष्म विवरण निम्नवत है।

1– आवेदक का नाम .....

2– आयु .....

3– पिता का नाम .....

4– व्यवसाय .....

5– पूर्ण पता .....

दिनांकः .....

हस्ताक्षर

आवेदक

नाममात्रिक सदस्यता स्वीकार की गयी।

वास्ते जिला सहकारी बैंक लि0, गाजियाबाद

शाखा प्रबंधक,

शाखा.....

नोटः– शाखा प्रबंधक, नाममात्रिक सदस्यता रजिस्टर में उपरोक्त का इन्द्राज करें।

प्रारूप 09(ख)

नाम मात्रिक सदस्यता हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

शाखा प्रबंधक

जिला सहकारी बैंक लि0, गाजियाबाद

शाखा.....

महोदय,

मैं, ... आपकी संस्था जिला सहकारी बैंक लि0, गाजियाबाद, जो कि उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अन्तर्गत निबन्धित सहकारी संस्था है, का नाम मात्रिक सदस्य बनना चाहता हूँ। इसके लिये मैं निर्धारित शुल्क अंकन 10.00 रूपये जमा कर रहा हूँ।

मैं, उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 द्वारा, नाम मात्रिक सदस्यता हेतु, निर्धारित सभी पात्रतायें रखता हूँ, एवं वचन देता हूँ कि उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 एवं उ0 प्र0 सहकारी समिति विनियमावली 1968 एवं आपके बैंक बायलाज द्वारा निर्धारित शर्तों, उपबन्धों एवं निर्देशों का पालन करूँगा। मेरा सूक्ष्म विवरण निम्नवत है ।

1– आवेदक का नाम .....

2– आयु .....

3– पिता का नाम .....

4– व्यवसाय .....

5– पूर्ण पता .....

दिनांकः .....

हस्ताक्षर

आवेदक

नाममात्रिक सदस्यता स्वीकार की गयी।

वास्ते जिला सहकारी बैंक लि0, गाजियाबाद

शाखा प्रबंधक,

शाखा.....

नोटः– शाखा प्रबंधक, नाममात्रिक सदस्यता रजिस्टर में उपरोक्त का इन्द्राज करें।

प्रारूप 09(ग)

नाम मात्रिक सदस्यता हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

शाखा प्रबंधक

जिला सहकारी बैंक लि0, गाजियाबाद

शाखा.....

महोदय,

मैं, ... आपकी संस्था जिला सहकारी बैंक लि0, गाजियाबाद, जो कि उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अन्तर्गत निबन्धित सहकारी संस्था है, का नाम मात्रिक सदस्य बनना चाहता/हूँ। इसके लिये मैं निर्धारित शुल्क अंकन 10.00 रूपये जमा कर रहा हूँ।

मैं, उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 द्वारा, नाम मात्रिक सदस्यता हेतु, निर्धारित सभी पात्रतायें रखता हूँ एवं वचन देता हूँ कि उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 एवं उ0 प्र0 सहकारी समिति विनियमावली 1968 एवं आपके बैंक बायलाज द्वारा निर्धारित शर्तों, उपबन्धों एवं निर्देशों का पालन करूँगा। मेरा सूक्ष्म विवरण निम्नवत है।

1– आवेदक का नाम .....

2– आयु .....

3– पिता का नाम .....

4– व्यवसाय .....

5– पूर्ण पता .....

दिनांकः .....

हस्ताक्षर

आवेदक

नाममात्रिक सदस्यता स्वीकार की गयी।

वास्ते जिला सहकारी बैंक लि0, गाजियाबाद

शाखा प्रबंधक,

शाखा.....

नोटः– शाखा प्रबंधक, नाममात्रिक सदस्यता रजिस्टर में उपरोक्त का इन्द्राज करें।

प्रारूप 10

जिला सहकारी बैंक लि0, गाजियाबाद

शाखा प्रबन्धक की मूल्यांकन आख्या

1– आवेदक का नाम .....

2– पिता/पति का नाम .....

3– पत्राचार/वर्तमान पता .....

.....

4– वर्तमान तैनाती का पता .....

5– पद .....

6– सेवा योजक का पद, नाम .....

7– सेवायोजक का पता .....

8– सेवा निवृत्ति की तिथि.....

9– सेवा निवृत्ति हेतु अवशेष माह.....

10– प्रस्तावित ऋण की धनराशि.....

11– ऋण वापसी हेतु माह की संख्या.....
(पूर्ण ऋण अदायगी सेवानिवृत्ति से 01 वर्ष पूर्व हो जानी चाहिए)

12– मासिक किस्त की धनराशि.....

13 क– मासिक कुल परिलब्धियां .....

ख– मासिक कुल कटौतियां .....

ग– प्रस्तावित ऋण की मासिक कटौती .....

घ– प्रस्तावित ऋण की मासिक किस्त को जोडते हुए कुल मासिक कटौतियां (ख+ग) .....

ड– कुल भुगतान योग्य धनराशि (क–घ).....

च– प्रस्तावित ऋण की मासिक किस्त को जोडते हुए कुल मासिक कटौती का प्रतिशत .....
(कटौती का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए)।

14– प्रस्तावित गारन्टरों की हैसियत का परीक्षण (आख्या अंकित करें) .....

.....

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं प्रारूप सं0 2 से 11 पर उपलब्ध सूचनाओं एवं उपलब्ध कराये गये संलग्नकों एवं गारन्टरों के आधार पर अधोहस्ताक्षरी का समाधान हो गया है कि श्री ..... आवेदक को प्रस्तावित व्यक्तिगत ऋण अंकन ..... (शब्दो में .....) दिया जाना बैंक हित में है।

अतः आवेदक के आवेदन पत्र, उसके वचन पत्र, घोषणा पत्र, नियोक्ता की ऋण कटौती सम्बन्धी मेमोरेन्डम ऑफ अण्डरटेकिंग, गारन्टरों के गारन्टरं एग्रीमेन्ट, शपथ पत्र, एवं अन्य डाकूमेन्टेशन के परिपेक्ष्य में आवेदक की पात्रता सुनिश्चित करते हुए श्री ..... को अंकन ..... (शब्दों में.....) व्यक्तिगत ऋण दिये जाने की संस्तुति/स्वीकृति की जाती है । ऋण की अदायगी प्रचलित ब्याजदर.....प्रतिशत पर ..... मासिक किस्तों में की जायेगी। मासिक किस्त अंकन ..... प्रतिमाह रहेगी।

दिनांक :

हस्ताक्षर (कैशियर)

हस्ताक्षर शाखा प्रबंधक

प्रारूप 11

सेवा में,

शाखा प्रबंधक,

जिला सहकारी बैंक लि0, गाजियाबाद

शाखा .....

महोदय,

प्रार्थी द्वारा आपकी बैंक शाखा से व्यक्तिगत ऋण योजना के अन्तर्गत अंकन ..... (शब्दों में .....) व्यक्तिगत ऋण हेतु आवेदन किया था। प्रार्थी के आवेदन पत्र, प्रार्थी द्वारा पूर्ण ऋण की ब्याज सहित अदायगी के निमित्त अपने नियोक्ता को वेतन से कटौती हेतु अधिकृत किये जाने के कम में, नियोक्ता/आहरण वितरण अधिकारी के मेमोरम ऑफ अण्डर टेकिंग, निष्पादित टर्मलोन एग्रीमैन्ट एवं प्रोनोट तथा दो पात्र व्यक्तियों की गारन्टी एग्रीमैन्ट एवं शपथ पत्र के कम में आपके बैंक द्वारा प्रार्थी को अंकन ..... (शब्दों में .....) व्यक्तिगत ऋण की मंजूरी दी गई है । प्रार्थी एवं गारन्टरों द्वारा बैंक को दिये गये वचन पत्र एवं एग्रीमैन्ट का पूर्ण ऋण की ब्याज सहित अदायगी तक, पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।

अतः प्रार्थी के नाम स्वीकृत व्यक्तिगत ऋण की धनराशि अंकन ..... (शब्दों में .....) को प्रार्थी के नाम से आपकी शाखा में खुले वचत खाता संख्या ..... में केडिट करने का कष्ट करें।

दिनांकः .....

हस्ताक्षर

नाम.....

पिता/पति का नाम.....

पूरा पता.....

.....